रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33004/99

भारत का राजपत्र

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12012024-251309

असाधारण

भाग II – खण्ड 3 – उप-खण्ड (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

[सं. 147] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 12, 2024/पौष 22, 1945

रेल मंत्रालय

(उत्तर रेलवे) (निर्माण संगठन)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2024

का.आ. 154(अ)—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा जाता है) की धारा 20क के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, ऐसी भूमि का, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, **उत्तर प्रदेश** राज्य के **अमेठी** जिले में प्रस्तावित **जन्घई-प्रतापगढ़-अमेठी (87 किमी.) डबलिंग प्रोजेक्ट** से सम्बन्धित मिसरौली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या-02 के निर्माण हेतु अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने में अपने आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप–धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात विशेष भूमि अर्जन अधिकारी, अमेठी, उत्तर प्रदेश को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित किए जायेंगे तथा सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जाँच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जो सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, आक्षेपों को या तो अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप–धारा (1) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अन्तिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांक और अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा उनका सक्षम प्राधिकारी के पूर्वोक्त कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के अमेठी जिले में प्रस्तावित जन्घई-अमेठी (87 किमी.) डबलिंग प्रोजेक्ट से सम्बन्धित मिसरौली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या-02 के निर्माण हेतु प्रभावित होने वाली अर्जनाधीन भूमि की संरचना सहित या संरचना रहित संक्षिप्त विवरण

क्र. सं.	जिले का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	सम्पूर्ण / आंशिक	प्रभावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7
1	अमेठी	अमेठी	तारापुर	277	आंशिक	0.1987
				288	आंशिक	0.0294
				योग		**0.2281**

[फा. सं. 190-W/Land/Amethi-Pratapgarh]

एस. के. सपरा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण-III

210/2024